एमआरओ/डॉस/डीओसी/2025/04973

12 दिसंबर, 2025

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित आईएस 17802 (भाग I और भाग II) मानकों का अनुपालन

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र दिनांक 14 अगस्त, 2025 का संदर्भ, लेने का कष्ट करें जिसका शीर्षक है 'प्रज्ञा प्रसून और अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (डब्ल्यूपी (सी) 2024 का 289) और अमर जैन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2025 का 49) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल, 2025 के आदेश का अनुपालन' है।

2. इस संबंध में, उक्त सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के निर्देश संख्या XI की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "सभी विनियमित संस्थाओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों और सेवाओं के लिए पहुंच मानकों के अनुपालन में उपकरणों या वेबसाइटों/एप्लिकेशनों/सॉफ्टवेयर की खरीद या डिजाइन करना चाहिए। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित आईएस 17802 (भाग I और भाग II) मानकों को प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के आधार पर उत्पादों और सेवाओं के मामले में कार्यान्वयन के लिए गैर-परक्राम्य पहुंच मानकों के हिस्से के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान किए गए दंडात्मक प्रावधान, गैर-अनुपालन के मामले में लागू होंगे।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएँ कि उनके सभी आईसीटी उत्पाद और सेवाएं बीआईएस आईएस 17802 (पार्ट I और II) मानकों का पालन करें, ताकि जब भी इन मानकों को अधिसूचित किया जाये, तो इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

सौरव सील

(सौरव सील)

महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग